न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

निगरानी डी.पी. अधिनियम का प्रकरण संख्या 03/2015
(GCMS: **2015/00159**)

1. **पुनू सिह आयु करीब 52 वर्ष** ┐
2. **पोपा सिंह आयु करीब 50 वर्ष** ┘ पिसरान श्री सुन्दर सिंह (मृतक) जाति बावरी निवासी गांव खरलां तसहील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमती सरफो** पत्नी श्री छोटू सिंह आयु करीब 45 वर्ष जाति बावरी निवासी गांव खरलां तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **निहाल कौर** पुत्री श्री प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **तोता सिंह** पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर**
5. **अति. जिला कलक्टर** एवं प्राधिकृत सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पुनु सिंह के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा की बहस दिनांक 06.04.2026 को एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को दिनांक 20.04.2026 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं करणपुर से रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र भी लिखा है, इसलिए उन्हें पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही सुने जाने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा डीपीएक्ट 2005 में रिपिल हो जाने के कारण, उसका प्रकरण खारिज कर दिया गया था, जिस कारण उनका तब से श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन चला आ रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्राधिकृत सैटलमैंट कमिश्नर के अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.09.2004 के सुन्दर सिंह को आवंटित रकबा चक 3 एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 को कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

25.00 बीघा भूमि कुर्क कर, तहसीलदार, करणपुर को रिसिवर नियुक्त करने के आदेश दिये गये थे। जिसके पश्चात श्रीमान् न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.05.2005 के द्वारा उक्त रिसिवर की भूमि में से सरवण सिंह द्वारा क्रय की गयी 12.05 बीघा भूमि को रिसीवर से मुक्त किया जा चुका है, परन्तु प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान में भी तहसीलदार, करणपुर को रिसिवर नियुक्त किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त चक 3एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 25.00 बीघा भूमि में से किला नं. 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 13/2 पोपा सिंह के नाम से एवं किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, एवं 13/1 पुन्नु सिंह पुत्र सुन्दर सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि वर्तमान में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण की भूमि को रिसिवर मुक्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत तहसीलदार (राजस्व), करणपुर ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 3 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 21 की 24.10 भूमि बतौर नॉन क्लेमेंट जीवो के आधार पर सुन्दर सिंह को आवंटन हुआ था।

उनका आगे यह भी कथन था कि आवंटी सुन्दर सिंह की तीन पत्नियां – धन्नो, प्यारों एवं दानों थी जिनकी संतनों के मध्य मध्य विवाद होने के कारण श्रीमान् सैटलमैंट ऑफिसर (पुर्नवास) एडीएम (सतर्कता), श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक पुर्नवास/ 2004/1239 दिनांक 04.10.2004 द्वारा उक्त रकबा हेतु तहसीलदार, श्रीकरणपुर को रिसिवर नियुक्त किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त आदेशों की पालना में वर्ष 2004 को निलामी सूचना जारी कर रकबा काश्त की व्यवस्था करवायी गयी परन्तु न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सीजी/वाचक/465 दिनांक 06.04.2005 द्वारा उक्त रकबा में से 12.05 बीघा सद्भावी क्रेता सरवन सिंह द्वारा क्रय किये जाने पर उक्त रकबा को रिसीवर मुक्त किया गया और शेष रकबा का आदेश यथावत रखा गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त [illegible] 12.05 बीघा में से 20 गुणा 20 वर्गमीटर मंदिर एवं पोपा सिंह के [illegible] छोड़कर शेष रकबे की निलामी 2005 से लगातार [illegible]

उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार उक्त कुल रकबा क्रेता सरवन सिंह के नाम मु.न. 21 के किला नं. 13/3 से 25 तक कुल 3.101 हैक्टेयर नहरी भूमि, पुन्नु सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति बावरी साकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3 एफएफ के नाम मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 13/1 तक कुल 1.549 हैक्टेयर भूमि तथा पोपा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति बावरी साकिन 3 एफएफ के नाम मुरब्बा नम्बर 21 के किला नं. 3 से 8 और 13/2 कुल 1.550 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि सुन्दर सिंह पुत्र हरियाराम बावरी निवासी 3 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर को बतौर नॉन क्लेमैन्ट जीवों के आधार पर चक 3 एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 की 25.00 बीघा रकबा आवंटन हुआ था। प्रेम कौर पुत्री सुन्दर सिंह पत्नी प्रेम सिंह, साईया उर्फ सईयां पुत्री सुन्दर सिंह पत्नी बालकनाथ साकिन खरलां द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि सुन्दर सिंह फौत हो चुका है, वो उसकी जायज वारिस है, उन्हें वारिस घोषित किया जावे। इस पर जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2004 द्वारा मृतक सुन्दर सिंह के उक्त रकबा के लिए प्रेम कौर, सहिया– लडकियां, पुन्नु सिंह, पोप सिंह को बहिस्सा बराबर जायज वारिस घोषित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी सरफो ने प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की थी। प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 20.09.2004 से निम्न आदेश पारित किया था:

> उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.1984 जिला पुर्नवास अधिकारी गंगानगर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सैटलमैंट ऑफिसर (पुर्नवास) अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को इस निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकरान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए मृतक सुन्दर सिंह के वारिसान के बारे में भी विस्तृत जांच करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। इसके साथ ही विवादित रकबा चक 3 एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 किला 25 बीघा कुर्क कर, तहसीलदार करणपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रिसीवर शुदा का कब्जा बहक राष्ट्रपति भारत सरकार प्राप्त कर, काश्त की व्यवस्था करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit
Date: 2026.05.07 16:12
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने यह निगरानी डी.पी.(सी एण्ड आर) एक्ट 1954 (Displaced Persons - Compensation and Rehabilitation - Act, 1954) की धारा 24 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्राधिकृत सेटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। केन्द्र सरकार द्वारा डिस्पलेस्ड पर्सन कलेम्स एण्ड अदर लॉज रिपिल एक्ट 2005 (एक्ट नं 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी. एण्ड आर) (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) कर दिया गया था और लम्बित कार्यवाहियों के संबंध में कोई सेविंग क्लाज नहीं रखने के कारण दिनांक 26.12.2005 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर दी थी।

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 अनुसार डीपी (सी एण्ड आर) एक्ट 1954 के रिपिल होने के समय जिन प्रकरणों में कार्रवाई लम्बित थी, उन प्रकरणों में कार्रवाई जारी रखी जानी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एक्ट रिपिल होने के दिनांक 26.12.2005 को एडमिशन बहस पर चल रही थी, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एडमिशन बहस पर दर्ज रजिस्टर किया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 10.02.2020 को प्रार्थीगण को एडमिशन के बिन्दु पर सुना जाकर, पत्रावली सुनवाई हेतु ग्रहण की गई थी। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

सरपंच 43 जीजी खरलां पंचायत समिति श्रीकरणपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 के अनुसार अप्रार्थी सरफो पुत्री रजो जाति बावरी निवासी खरलां तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर की मृत्यु हो चुकी है। इसीप्रकार उपसरंपच ग्राम पंचायत अरायण पं.स. श्रीकरणपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 के अनुसार अप्रार्थी निहाल कौर पुत्री प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की दिनांक 13.12.2001 को मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी तोता सिंह दिनांक 09.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुआ था, तथा उसके पश्चात वह स्वयं अथवा उसका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उसके द्वारा कोई जवाब/दस्तावेज पेश किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अप्रार्थी मृतक सिंह के निम्नानुसार वारिस थे :

Signature Not Verifi
Digitally signed by Amit Y
Date: 2026.03.07 16:12:3
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

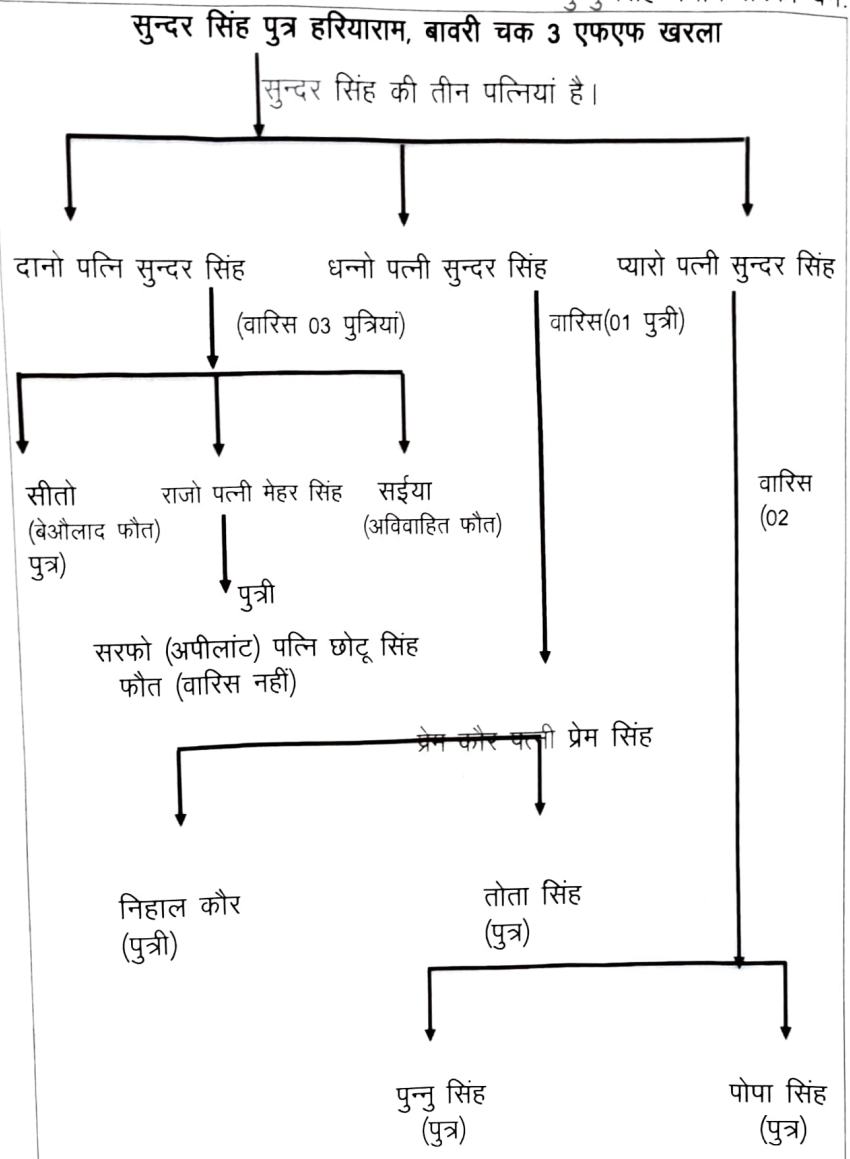

आवंटी सुंदर सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिस प्रेम कौर –पुत्री, सईया (उर्फ सखिया)–पुत्री, पुन्नु सिंह–पुत्र एवं पोपा सिंह– पुत्र को वारिस मानते हेतु सनद दिनांक 03.08.1988 को जारी की गई थी। सरवन सिंह पुत्र ध्यान सिंह द्वारा उक्त प्रेम कौर एवं सईया (सुन्दर सिंह की पुत्रियां) से उनके हिस्से की भूमि जिलाधीश गंगानगर के आदेश दिनांक 18.08.1989 को करने की अनुमति लेकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा 12.05 बीघा भूमि को बैयनामा के द्वारा दिनांक 21.08.1989 को क्रय की गयी थी तथा सरवन सिंह को विवादग्रस्त भूमि से 12.05 बीघा के सद्भावी क्रेता होने के कारण उनकी भूमि को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2005 के द्वारा रिसिवर मुक्त किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yad
Date: 2026.05.07 16:12:33
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार प्रेम कौर पत्नी प्रेम सिंह एवं सईयां द्वारा अपने हिस्से की भूमि पूर्व में दिनांक 21.08.1989 को विक्रय की जा चुकी है। इसलिए प्रेम कौर पत्नी प्रेम सिंह के वारिसों निहाल कौर एवं तोता सिंह का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक नहीं बनता है। सरपंच 43 जीजी खरलां पंचायत समिति श्रीकरणपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 के अनुसार अप्रार्थी सरफो पुत्री रजो जाति बावरी निवासी खरलां तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर की मृत्यु हो चुकी है। इसप्रकार प्रार्थी पुन्नु सिंह एवं पोपा सिंह पुत्रगण सुन्दर सिंह की उक्त विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है।

विचाराधीन प्रकरण में पक्षकरों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद होना प्रतीत नहीं होता है तथा पत्रावली में उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी चक 3 एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 3 से 8 एवं 13/2 पोपा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हिस्सा पूर्ण जाति बावरी साकिन देह खातेदार दर्ज है, इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1, 2 9 से 12 एवं 13/1 पुन्नु सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हिस्सा पूर्ण जाति बावरी देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1956 की धारा 24 का उद्देश्य विभाजन के बाद पाकिस्तााान से आए विस्थापितों को मुआवजा देना और पुर्नवास करना था तथा हस्तांरित की सम्पत्ति का रिकॉर्ड सही करना था। इसलिए पुन्नु सिंह एवं पोपा सिंह पुत्रगण सुन्दर की उक्त भूमि को रिसीवर से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर 3 एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 3 से 8 एवं 13/2 पोपा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह एवं चक 3 एफएफ के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1, 2 9 से 12 एवं 13/1 पुन्नु सिंह पुत्र सुन्दर सिंह की भूमि रिसीवर मुक्त की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करणपुर एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:33 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर एवं प्रतिनिधिक
सैटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर